न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 236/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
खींवसिह पुत्र शैतानसिह जाति राजपूत निवासी गांव सबलगढ (केतुकलां) तहसील शेखाला जिला जोधपुर		1–मदन सिह पुत्र आईदान सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम सबलगढ (केतुकलां) तहसील शेखाला, जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेखाला जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–3–2022 जो राजस्व प्रकरण संख्या .../2020 अनवान मदनसिह बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला मे उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री नाहर सिह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 14–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 मदनसिह की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि तरमीम शुद्धि की जावे तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि मौजा सबलगढ पटवार हल्का केतु कल्ला तहसील सेखाला के खसरा नंबर 722 रकबा 2.19 बीघा संयुक्त खातेदारी मे है तथा उक्त भूमि का पूर्व मे वर्ष 1996 मे कुल 3 बीघा 09 बिस्वा था वर्ष 1996 मे तहसीलदार शेरगढ के आदेश कमांक 1220 दिनांक 27–5–1996 के द्वारा खसरा नंबर 722 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा मे से 10 बिस्वा भूमि राज्य सरकार को समर्पण की गई थी । वक्त समर्पण समर्पित भूमि की तरमीम का स्थान नक्शे मे प्रस्तावित किया गया था । हाल ही मे हल्का पटवारी द्वारा समर्पित भूमि की तरमीम तय स्थान पर नही करते हुए अन्य स्थान पर अपने मनमर्जी से कर दी गई जिसे प्रार्थी द्वारा तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–3–2022 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय हित मे स्वीकार किया जाकर मौजा सबलगढ पटवार हल्का केतु कलां तहसील सेखाला के खसरा नंबर 722 मे समर्पण की गई भूमि की तरमीम को खारीज करते हुए पुनः नवीन तरमीम समर्पण पत्र दिनांक 27–5–1996 मे उल्लेखित पडौस के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि तरमीम शुद्धि की जावे तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि मौजा सबलगढ पटवार हल्का केतु कल्ला तहसील सेखाला के खसरा नंबर 722 रकबा 2.19 बीघा संयुक्त खातेदारी मे है तथा उक्त भूमि का पूर्व मे वर्ष 1996 मे कुल 3 बीघा 09 बिस्वा था वर्ष 1996 मे तहसीलदार शेरगढ के आदेश क्रमांक 1220 दिनांक 27–5–1996 के द्वारा खसरा नंबर 722 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा मे से 10 बिस्वा भूमि राज्य सरकार को समर्पण की गई थी । वक्त समर्पण भूमि की तरमीम का नक्शे मे गलत तरीके से तरमीम की गई जिसे शुद्ध किया जावे ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार सेखाला को न तो कोई विधिवत नोटिस तामिल हुए और न ही कोई जवाब पेश हुआ और न ही मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई जबकि समर्पण वर्ष 1996 मे किया गया,उसी समय खसरा नंबर 722/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि की मौके अनुसार तरमीम की गई थी एवं खसरा नंबर 722/1 का प्रार्थी न तो खातेदार है और न ही उसे प्रार्थनापत्र पेश करने का अधिकार है और क्योकि खसरा नंबर 722/1 का रकबा 10 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के नाम है तथा उक्त भूमि मे वर्ष 1996 से ही पीएचईडी विभाग की पानी की टंकी, जीएलआर एवं पशुओ के लिए पानी की होदी सरकार द्वारा उक्त ढांव आज से करीब 26–27 वर्ष पूर्व मौके पर बने हुए है तथा उक्त प्रार्थना पत्र लंबी अवधि के बाद विधिविरूद्ध प्रस्तुत किया गया है क्योकि खसरा नंबर 722/1 की तरमीम सही है शुद्धिकरण करवाये जाने की जरूरत नही है तथा प्रार्थी/रेस्पो0 सरकारी जमीन पर तरमीम शुद्धिकरण के नाम से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना चाहता है जिसे उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने खुली छूट दे दी ऐसा किया जाना संभव नही है क्योकि खसरा नंबर 722 व 722/1 अलग अलग खाते है तथा अलग अलग जमाबंदी मे दर्ज है एवं नक्शे मे पहले से ही तरमीम सुदा है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी मात्र मदनसिह द्वारा ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि खसरा नंबर 722 रकबा 0.4775 हेक्टैयर भूमि मे अन्य खातेदार भी है । ऐसी स्थिति मे मात्र मदनसिह अकेले को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है एवं अन्य सहखातेदारान जिनका खसरा नंबर 722 मे हिस्सा है, उनकी खातेदारी है उन्हे इस प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है । अपीलांट खीवसिह की पुश्तैनी खातेदारी खसरा नंबर 724 एवं 723 गै.मु.ढाणी आई हुई है तथा उनके रहवासीय मकान बने हुए है जिनका आने जाने का रास्ता सरकारी भूमि खसरा नंबर 722/1 मे है । रेस्पो0 मदनसिह अपीलांट की भूमि, मकान मे आने जाने का रास्ता बंद करवाना चाहता है एवं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना चाहता है जिसके लिए झूंठे कथनो का सहारा लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारीज किये जाने योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12–11–2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं पेशी तारीख 10–1–2022 को रखी गई तत्पश्चात न तो नोटिस तामिल हुए ओर न ही कोई

तहसीलदार की ओर से जवाब ही प्रस्तुत हुआ । पत्रावली दिनांक 23–3–2022 को रखते हुए कोरोना काल मे ही दिनांक 23–3–2022 को ही निर्णय पारित कर दिया जबकि रेस्पो0 एवं उसके भाईयो द्वारा समर्पण की गई भूमि की सन 1996 मे ही 10 बिस्वा भूमि की तरमीम कर दी गई थी क्योकि मौके पर सरकारी पानी की टंकी, जीएलआर एवं पानी की खेली आदि बने हुए है जिसमे पशुधन एवं गांव के लोग पानी पीने एवं पानी भरने के लिए आते है जिसकी तरमीम मौके अनुसार सही है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्ष 1996 से लेकर आज दिन तक रेस्पो0 मदनसिह एवं उनके भाईयो द्वारा 26–27 वर्ष तक कोई कार्यवाही नही की थी जबकि उनको प्रारंभ से ही जानकारी थी कि खसरा नंबर 722/1 रकबा 10 बिस्वा सरकारी जमीन है एवं सरकारी योजना से कई ठांव बने हुए है जिसमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता है । वकील अपीलाट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की ओर से जवाब एवं मौके की रिपोर्ट प्राप्त नही की गई ऐसी स्थिति मे यह नही कहा जा सकता कि उक्त खसरे के समर्पण की गई भूमि की तरमीम अशुद्ध हो । वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 मदनसिह द्वारा उक्त खसरा नंबर 722 की तरमीम की आड मे खसरा नंबर 722/1 की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है, जिन्हे कानून इस प्रकार की अनुमति नही दी जा सकती है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–2022 को अपास्त कर प्रकरण को मेरिट पर सुनवाई हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाये ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार सेखाला के नोटिस तामिल कराये बिना तथा तहसीलदार से विधिवत जवाब प्राप्त किये बिना ही तरमीम शुद्धि बाबत आदेश धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के आधार पर पारित करवा लिया जबकि वर्ष 1996 मे भूमि के समर्पण नामा के आधार पर पीएचईडी विभाग के नाम खसरा नंबर 722 मे की गई तरमीम को निरस्त कर पुनः नई तरमीम करने के जो आदेश पारित किये गये है, वह विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–3–2022 को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो का तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 मदनसिह ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वर्ष 1996 मे 10 बिस्वा भूमि का राज्य सरकार के पक्ष मे किये गये समर्पण एवं तत्समय की गई तरमीम को 25 वर्ष बाद धारा 136 भू राजस्व के प्रार्थना पत्र के तहत दिनांक 23–3–2022 को पारित निर्णय से परिवर्तित करना न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

सहि - प्रशासनिक आयुक्त
जोधपुर

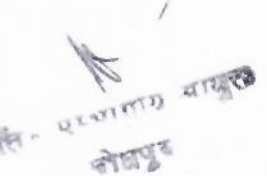

धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार है:–

गलतियों का शुद्धिकरण – भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें ।

परंतु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख मे किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी गलती तब तक शुद्ध नही की जा सकेगी जब तक कि पक्षकारो को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो ।"

धारा 136 राजस्व अभिलेख की लिपिकीय त्रुटियो की जांच व सुनवाई पश्चात शुद्धिकरण से संबंधित है, धारा 136 मानचित्र तथा फिल्ड बुक मे पाई गई त्रुटियो/गलतियो को सुधार करने का विधिक उपाय नही है । ऐसे मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये तरमीम दुरस्त संभव नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने 25 वर्ष पूर्व की तरमीम को खारीज करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये तरमीम दुरस्त करने के आदेश पारित किये है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–3–2022 विधिसम्मत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तैयार किया जाकर हितबद्ध पक्षकारो की विधिवत सुनवाई पश्चात नियमानुसार नये सिरे से पुनः निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 14–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त समाहर्ता एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर